



# पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स-0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 1640 / अका. / सम्बद्धता / 2021

रायपुर, दिनांक : 24 / 03 / 2021

## ॥ आदेश ॥

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 09.03.2021 की अनुशंसानुसार एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 16.03.2021 के निर्णयानुसार शासकीय दाऊ कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलौदाबाजार जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.) को दर्शित कक्षा / विषय एवं सत्र के लिये अस्थाई सम्बद्धता शर्त प्रदान की जाती है:-

क्र.	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र
1.	L.L.M. I/II Sem.	20	2020-21

शासन का आदेश- (1) कक्षा एम.एस.सी. हेतु छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर का पत्र क्र. एफ 3-16/2019/38-1 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 25.03.2020

### शर्त :-

1. छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
2. समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
3. कक्षा L.L.M.-III/IV Sem. की संबद्धता हेतु 30 जून 2021 तक शुल्क जमा कर आवेदन विश्वविद्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।
4. जाँच प्रतिवेदन के भाग 'ब' में निम्नलिखित दर्शित कमियों (प्रति संलग्न) की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।

आदेशानुसार,

*Su. 3.21*

विशेष कर्तब्यस्थ अधिकारी (अका.)

पं. क्रमांक : 1641 / अका. / सम्बद्धता / 2021

रायपुर, दिनांक : 24 / 03 / 2021

### प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर नवा रायपुर।
2. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर।
3. संचालक, शारीरिक शिक्षा,
4. स.कु.स. परीक्षा / परीक्षा सेमेस्टर / नामांकन / गोपनीय / वित्त नियंत्रक / विकास / प्रभारी अधिकारी, प्रेस
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक,  
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

*Su. 3.21*  
कक्षा अधिकारी (अका.)


## निरीक्षण समिति का प्रतिवेदन


---

एल एल.एम कक्षाओं के संचालन हेतु दिनांक 27 जनवरी 2021 को शा.डी.के महा. बलौदाबाजार के विधि विभाग का निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के दौरान महाविद्यालय में पाया गया कि

- 1 स्वयं का भवन पर्याप्त क्षेत्रफल में है ।
- 2 कमरो का फर्नीचर की संख्या पर्याप्त है ।  
परन्तु निम्न कमियों का उल्लेख आवश्यक है –
- 1 विधि विभाग में स्वीकृत शैक्षणिक पदों की संख्या 05 है परन्तु वर्तमान में केवल एक ही सहा. प्राध्यापक द्वारा विधि त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम का **Syllabus** पूर्ण कराया जा रहा है ।
- 2 विधि विभाग में वर्तमान में कोई भी अंशकालिक या संविदा प्राध्यापक कार्यरत नहीं है ।
- 3 लायब्रेरी में ग्रंथपाल के पद पर प्रभारी प्राध्यापक द्वारा कार्य किया जा रहा है ।
- 4 लायब्रेरी में **Journals** एवं **Reference Books** की भी कमी पाई गई है तथा वर्तमान में **books** हेतु कोई **order Pending** नहीं है ।
- 5 महाविद्यालय में पर्याप्त **ICT Tools** तथा **Computer operatar** है परन्तु विधि विभाग में **Online Classes** के लिए पृथक से कोई व्यवस्था नहीं है ।

अनुशंसा— आयुक्त उच्च शिक्षा रायपुर द्वारा दिनांक 13/08/2020 को एल एल.एम कक्षाएँ प्रारंभ करने हेतु 20 सीट स्वीकृत की गई है इन सीटों पर एल एल.एम कक्षाओं के संचालन हेतु उपरोक्त कमियों को दूर करते हुए पात्रता की अनुशंसा की जाती है ।

  
Dr. Anjalesh

  
Dr. Vinay Agrawal

भाग "ब"

भाग 'अ' में दी गई जानकारी के सत्यापन के बाद निरीक्षण समिति द्वारा भरा जाए।

प्रस्तावित पाठ्यक्रम के संचालन के लिए निरीक्षण समिति का बिंदुवार प्रतिवेदन।

ख्रतिवेदन में अनुशंसा न की जाए अपितु पात्रता/अपात्रता का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। कमियों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए, जिन्हें सम्बद्धता के लिए शर्त के रूप में मान्य किया जा सके।

Enclosed

Dr. (Smt.) Priya Rao  
निरीक्षण समिति के संयोजन  
हस्ताक्षर

का नाम एवं

Dr. (Smt.) Vineeta Aggarwal

✓ निरीक्षण दल के सदस्यों के हस्ताक्षर - नाम- पता

विषय विशेषज्ञ / विशेषज्ञों के हस्ताक्षर एवं नाम-पता Dr. Priya Rao, Asst. Prof. (Law)  
P.R.U

दिनांक 10/02/2021

① Dr. (Smt.) Priya Rao  
SOS Law  
Pt. Ravishankar Shukla University,  
Raipur

Priya  
10/02/21

② Dr. Vineeta Aggarwal  
Head Law Department  
Govt J.Y. Chhattisgarh College -  
Raipur

- Vineeta  
10/02/2021